उत्तर प्रदेश शासन
वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2
संख्या-3/2016/बी-2-257/दस-2016-244/2016
लखनऊ दिनांक 16 फरवरी, 2016

कार्यालय-ज्ञाप

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिये द्वितीय अनुपूरक अनुदान की माँगों से सम्बन्धित विधान मण्डल द्वारा पारित विनियोग विधेयक श्री राज्यपाल की स्वीकृति के उपरान्त दिनॉक 15 फरवरी, 2016 को उत्तर प्रदेश विनियोग (2015-2016 का अनुपूरक) अधिनियम, 2016 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-2 सन 2016) के रूप में अधिसूचित कर दिया गया है।

2- अत: वित्तीय वर्ष 2015-16 के बजट प्रावधानों के सापेक्ष स्वीकृतियाँ जारी करने विषयक कार्यालय-ज्ञाप संख्या-2/2015/बी-1-925/दस-2015-231/2015, दिनांक 30 मार्च, 2015 के क्रम में प्रशासकीय विभागों से अनुरोध है कि वे अनुपूरक माँग में सम्मिलित प्रस्तावों की वित्तीय स्वीकृतियाँ जारी करने के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करें।

3- वित्तीय वर्ष 2015-16 की शेष अवधि में व्यय/वास्तविक उपयोग हेतु आवश्यक धनराशि की सीमा तक ही वित्तीय स्वीकृतियाँ जारी की जाय।

3- वित्तीय स्वीकृतियों से सम्बन्धित अन्य दिशा-निर्देशों के सम्बन्ध में उल्लिखित शासनादेश दिनांक 30 मार्च, 2015 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

राहुल भटनागर
प्रमुख सचिव, वित्त ।

शासन के समस्त प्रमुख सचिव/सचिव।

संख्या-3/2016/बी-2-257(1)/दस-2016-244/2016, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2. प्रधान महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
3. प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश।
4. प्रमुख सचिव, विधान परिषद/विधान सभा सचिवालय, उत्तर प्रदेश।
5. समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
6. निदेशक, कोषागार, उत्तर प्रदेश जवाहर भवन, लखनऊ।
7. निदेशक, वित्तीय सांख्यिकी निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
8. समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
9. सचिवालय के समस्त अनुभाग।
10. तकनीकी निदेशक, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (राज्य एकक), योजना भवन, लखनऊ को वित्त विभाग की वेब साइट पर अपलोड करने हेतु।
11. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

लहरी यादव
वित्तीय सलाहकार (बजट)
एवं विशेष सचिव ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in